HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले 02 आरोपियों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 29.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले मे 02 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 12.09.2018 को अभियुक्तगण 1. पुष्पेन्द्र पुत्र महेशचन्द 2. नीटू पुत्र पप्पू निवासीगण ग्राम उपैड़ा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 417/2018 धारा 452, 506, 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.10.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 29.07.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री धर्मराज सिंह, पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।